महत्वपूर्ण एवं खास

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, अकेली महिला के घर घुसकर किया था छेड़छाड़

रायगढ़। कोतवाली पुलिस आज दिनांक 22/06/2021 को छेड़खानी (शीलभंग) के आरोपी आदित्य सारथी पिता जितेन सारथी उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11 जोगीडीपा थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी दिनांक 09.06.2021 की रात्रि एक महिला के घर घुसकर बुरी नियत से छेड़खानी किया था। दिनांक 11.06.2021 को पीड़िता थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 456 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी गिरफ्तारी के भय से फरार था जिसे आज मुखबिर सूचना पर कोतवाली थाने की प्रधान आरक्षक समुंद रक्सा एवं स्टाफ द्वारा पकड़ा गया है। आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी कर उसे आज रिमांड पर भेजा गया है।

लोकवाणी में इस बार विकास का नया दौर पर होगी बात

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार प्रदेशवासियों से विकास का नया दौर विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में आप आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 28, 29 एवं 30 जून को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 19 वीं कड़ी का प्रसारण 11 जुलाई 2021 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। अनुविभाग खरसिया एवं घरघोड़ा अंतर्गत 4 लोगों की प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। तहसील खरसिया के ग्राम-बड़े देवगांव निवासी संतोष कुमार पटेल की 6 सितम्बर 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गंगाबाई को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-बोतल्दा के रुखमीनबाई की 2 अगस्त 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पुत्र लच्छीराम पटेल को 4 लाख रुपये, तहसील घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम-खर्रामुड़ा बैहामुड़ा निवासी पूरन चौहान की 18 सितम्बर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी भगवती को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-कोसमघाट के सनतराम माझी की 20 अगस्त 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रमशीला माझी को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 28 जून को

रायगढ़। जिले में यातायात व्यवस्था तथा सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु जिला सड़क सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 28 जून 2021 को अपरान्ह 4.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने सर्वसंबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कहा है।

लक्ष्य के अनुसार हर रोज हो जिले में कोरोना टीकाकरण-कलेक्टर

» जिले में कोरोना टीकाकरण के कार्य अच्छा लेकिन करना होगा और बेहतर

रायगढ़। जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, पंचायत विभाग के समन्वय से अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन इसे और भी बेहतर करना होगा। इसके ही हर हाल में जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रतिदिन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने टीएल बैठक में कही। बैठक में कलेक्टर सिंह ने जिला स्तर पर प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप कोरोना टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्य में लगे सभी कर्मचारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए और बेहतर कार्य करने की बात कही। वैक्सीनेशन तय लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने के कारणों में वैक्सीनेशन सेंटर कम होना या दूर होने की बातें सामने आई। इस पर कलेक्टर सिंह ने सीएमएचओ डॉ एस.एन.केशरी को सभी निजी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू करने के साथ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। मेट्रो कलेक्टर सिंह ने निजी अस्पताल सहित कोरोना हॉस्पिटल के स्टाफ की ड्यूटी वैक्सीनेशन कराने के लिए लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करना है। इसके लिए तय रणनीति अनुसार कार्य करने की बात कही। महिला स्व-सहायता समूह के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ कॉलेज स्कूल के एनएसएस समूह के विद्यार्थियों को नाटक-नुक्कड़ करने और लोगों को जागरूक करने संबंधित कार्य में लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने स्लम वार्ड को भी टारगेट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादातर भ्रांतियों के शिकार ऐसे ही ग्राम वार्ड के लोग हैं। इसमें स्वास्थ्य खराब होने, बांझपन होने, मौत हो जाने आदि भ्रांतियां फैली हुई है। इसके लिए पंच-सरपंच और सरकारी कर्मचारियों के साथ स्कूल के शिक्षकों को ऐसे लोगों को जागरूक करने कार्य में लगाने की बात कही।

इसके बाद कलेक्टर सिंह ने गोधन न्याय योजना अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट निर्माण संबंधित बातों पर चर्चा की। इस पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने बताया कि वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट कुल निर्माण के 67 प्रतिशत तक बिक्री किया गया है। शेष बचे वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री भी तेजी से की जायेगी। इस पर कलेक्टर सिंह ने वर्मी कंपोस्ट के निर्माण में तेजी लाने और लक्ष्य के अनुरूप गौठान में गोबर खरीदी करने, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कम्पोस्ट निर्माण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने गौठान में आवश्यकतानुसार शेड निर्माण करने संबंधित बातों पर भी चर्चा की। उन्होंने लंबा शेड निर्माण के लिए 2-2 लाख के इस्टीमेट भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने पौधरोपण पर चर्चा की। उन्होंने सभी एसडीएम से पड़ती भूमि और शासकीय भूमि के आवंटन की जानकारी ली। इन भूमि पर पौधरोपण के लिए तैयार कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा किसानों को निजी भूमि और आवंटित शासकीय भूमि पर भी पौधरोपण करने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने पौधरोपण के लिये मुनगा पौधे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बिल्डिंग निर्माण और युवा केंद्र स्थापना करने संबंधित बातों पर चर्चा की। दोनों ही कार्यों को प्रमुखता से लेते हुए जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दिए। बैठक में निगम कमिश्नर एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी सहित जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे।

❑ कोरोना वैक्सीनेशन आईलैंड बना नौरंगपुर- रायगढ़ विकासखंड के ग्राम नौरंगपुर इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन आईलैंड बनने पर सुर्खियों में है। गांव के 18 वर्ष से अधिक सभी निवासियों को कोरोना टीकाकरण लग गया है। इस पर जनपद सीईओ सागर सिंह के नेतृत्व पर ग्राम पंचायत के सरपंच पदमलोचन पटेल और सचिव हरिशंकर पटेल ने टीएल की बैठक में कलेक्टर सिंह से मुलाकात की। कलेक्टर सिंह ने ग्राम सरपंच व सचिव के कार्यों की सराहना करते हुए सभी ग्राम पंचायतों अधिकारी-कर्मचारियों को इनसे सीख लेने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने सरपंच व सचिव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

❑ 554 किसानों के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि- जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 554 ऐसे किसान है, जिनके पास 10 हेक्टेयर यानी 25 एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिसमें वह खेती कर फसल लेने का काम करते हैं। इस पर कलेक्टर सिंह ने ऐसे किसानों से चर्चा कर उन्हें एक हेक्टेयर पर पौधरोपण करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।

जमीन विवाद में छोटे भाई पर डंडे से किया मारपीट, ईलाज बाद फौत

» सारंगढ़ पुलिस ने आरोपी को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

सारंगढ़। थाना सारंगढ़ अन्तर्गत ग्राम छिन्द में रहने वाले रथराम सिदार और प्रेमसिंग सिदार के बीच लम्बे समय से जमीन विवाद था। दिनांक 04/06/2021 को सुबह प्रेमसिंग सिदार (30 साल) अपने जमीन में काम करने के लिए जेसीबी बुलाया था जिसे देख उसका बड़ा भाई रथराम सिदार (44 साल) मेरे जमीन में कैसे काम करवायेगा कहते हुए पास में रखे हुये बांस के डंडे से प्रेमसिंग सिदार को मारपीट किया। मारपीट में प्रेमसिंग सिदार के सिर में चोट आई थी। उसी दिन दोपहर प्रेमसिंग स्वतः थाना सारंगढ़ आकर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराया, आहत का मुलाहिजा कराया गया। डॉक्टर द्वारा चोट को सामान्य प्रवृत्ति का लेख किये जाने पर थाना सारंगढ़ में दिनांक 04/06/2021 को आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 298/2021 धारा 294,506,323 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

आहत प्रेमसिंग सिदार अपना ईलाज केजीएच तथा मेट्रो अस्पताल रायगढ़ में कराया। मेट्रो अस्पताल से दिनांक 19/06/2021 को प्रेमसिंग घर आ गया था, दिनांक 20/06/2021 को प्रेमसिंग फौत हो गया। सारंगढ़ थाने में मर्ग कायम कर शव का पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। पीएम रिपोर्ट पर हत्यात्मक लेख करने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़ी गई। आरोपी रथराम सिदार पिता जहाज सिदार उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम छिन्द थाना सारंगढ़ को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी पतासाजी/गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक जी.एस. दुबे, प्रधान आरक्षक मोतीलाल डनसेना एवं आरक्षक राजेश राठिया की अहम भूमिका रही।

धार्मिक स्थलों के संचालन की मिली सशर्त अनुमति

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये रायगढ़ जिले में स्थित पूजा व धार्मिक स्थल को विभिन्न शर्तों के अधीन संचालन हेतु आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिये। आगंतुकों का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जाये। एक समय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न हो इसका ध्यान रखा जाये। स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक, पूजा स्थल पर प्रवेश करने हेतु निर्देशित किया जाये। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाये।

परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। परिसर के बाहर और भीतर स्थित कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जाये। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फिट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये। लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना चाहिये। बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाये कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग दूरी बनी रहे। एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश का पालन किया जाये जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिये। ताजा हवा एवं क्रास वेन्टीलेटर हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। मूर्ति/पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभाओं/मंडली का आयोजन प्रतिबंध रहेगा। संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुये जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत/गाने बजाये जा सकते है। गाना बजाने वालों या गायन समूहों को कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जाये। परिसर के भीतर लोगों से मिलते-जुलते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाये। धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई/दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं का दरी/चटाई ला सकते है। धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी।

सट्टा रेड कार्रवाई में क्रिकेट सट्टा के लाखों का सट्टा पट्टी, मोबाइल व नकदी जब्त

» रायगढ़ का कुख्यात सटोरिया जावेद खान कोतवाली पुलिस के शिकंजे में

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की टीम रायगढ़ जिले में जुआ-सट्टा की जड़े काटने में लगी है। इसी बीच कोतवाली पुलिस सट्टे के अवैध कारोबार में काफी समय से सक्रिय बीड़ापारा के जावेद खान पर सट्टा एक्ट के साथ 151 सीआरपीसी की कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा गया है। क्रिकेट सट्टा से नवयुवकों को बचाने पुलिस रायगढ़ द्वारा सभी प्रभारियों को क्रिकेट सट्टा पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है जिस पर कई थानाक्षेत्र अन्तर्गत गत आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट सट्टा पर कार्रवाहियां हुई जिसमें लाखों की नकदी समेत, करोड़ों रूपये के सट्टा पट्टी का हिसाब किताब मिला, आरोपियों पर सट्टा के साथ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। एसपी संतोष सिंह द्वारा इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की धरपकड़ शुरू कराई गई तो यहां के सटोरिये भूमिगत हो गये। सटोरिया जावेद खान पर भी लगातार कोतवाली पुलिस सट्टा व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार सटोरियों पर कार्यवाही करने से जावेद खान यहां से भागना उचित समझा था, जिसके कुछ दिन पहले आकर फिर से क्रिकेट सट्टा खेलाने की सूचना पर कल रात कोतवाली पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार कल दिनांक 21-06-2021 को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को मुखबिर से सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक पीछे बीड़ापारा रायगढ़ में जावेद खान क्रिकेट सटटा खिला रहा है। सचूना पर टीआई मनीष नागर, एएसआई दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक शंकर क्षत्रिय, आरक्षक विनोद शर्मा, उत्तम सारथी, गवाहों के साथ जाकर रेड किये। मौके पर जावेद खान मोबाइल पर इस्मालामा बाद वरसेस मुल्तान के क्रिकेट मैच पर आनलाइन क्रिकेट सट्टा पर्ची में लिख रहा था, जिसके कब्जे से सट्टा पटटी जिसमें अलग-अलग क्रिकेट सट्टा 75,000 रूपये एवं 65,500 रूपये का हिसाब लिखा हुआ, एक सैमसंग कंपनी का गोल्डन कलर टच स्क्रीन मोबाइल, नकदी रकम 10,900 रूपये एवं एक पेन जप्त किया गया है। आरोपी जावेद खान पिता जलील खान उम्र 42 वर्ष साकिन बीड़ापारा रायगढ़ थाना कोतवाली पर धारा 4(क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के साथ क्षेत्र में परिशांति कायम रखने के लिये धारा 107,116(3),151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर एसडीएम रायगढ़ के न्यायालय पेश किया जहां से प्राप्त जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। एसपी संतोष सिंह द्वारा जिले में सट्टा-जुआ और अवैध शराब कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी बताया गया है।

छाल पुलिस के हाथ आया दुष्कर्म मामले का फरार आरोपी

» आरोपी के ठिकानों पर छाल टीआई व स्टाफ लगातार दे रहे थे दबिश, ग्राम बर्रा में पकड़ा गया आरोपी

छाल। दिनांक 22/06/2021 को छाल थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले एवं स्टाफ द्वारा दुष्कर्म के फरार आरोपी यमकुमार राठिया को उसके गांव बर्रा आने की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया है, आरोपी माह काफी समय से गिरफ्तारी के भय से लुकछिप रहा था। जानकारी के अनुसार दिनांक 21.04.2021 को थाना छाल में युवती द्वारा ग्राम बर्रा निवासी यमकुमार राठिया पिता रामायण राठिया (24 साल) के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर आवेदन पत्र पर अप.क्र. 83/2021 धारा 376,506 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। युवती के अनुसार यमकुमार राठिया हाटी में वनरक्षक के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2018 में उससे जान परिचय हुआ था। यमकुमार राठिया परिवारजनों से जान पहचान होने से दिनांक 21.03.2019 को घर आकर शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद से घर आना-जाना करता था, इसी बीच यमकुमार अपने क्वाटर ले जाकर युवती को शादी करने का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 02.04.2021 को यमकुमार फोन कर युवती को शादी नहीं करूंगा कहने लगा और दोनों के रिश्तों के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था। अपराध पंजीबद्ध के बाद से आरोपी फरार था, छाल टीआई विवेक पाटले व स्टाफ लगातार आरोपी के घर एवं उसके मिलने के ठिकानों से उसकी जानकारी ले रहे थे। आज आरोपी के ग्राम बर्रा में देखे जाने की सूचना पर टीआई पाटले स्टाफ के साथ दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

मवेशियों की तस्करी करते दो युवक पकड़ाए, 49 मवेशी छुड़ाए गए

» ग्राम तोलमा के रास्ते ओडिशा हो रही मवेशियों की तस्करी

लैलूंगा। दिनांक 22/06/2021 के दोपहर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक एलपी पटेल को ग्राम तोलमा रक्सामुड़ा जंगल से ओडिसा की ओर कुछ मवेशी तस्कर कृषिधन मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते, हांकते हुए सलाटर हाउस, सिकाजोर उड़ीसा बाजार ले जाने की सूचना मिली। थाना प्रभारी लैलूंगा एलपी पटेल बिना समय गंवाये हमराह उपनिरीक्षक बीएस पैकरा, प्रधान आरक्षक सोमेश कुमार गोस्वामी, जयशरण चन्द्रा, आरक्षक अमरदीप एक्का, मयाराम राठिया, लवकिशोर साय, राजू कुमार तिग्गा के साथ ग्राम तोलमा रक्सामुड़ा जंगल पहुंचे। जहां पुलिस पार्टी को देखकर दो व्यक्ति बड़ी तेजी से मवेशियों को आगे ले जाने लगे, जिन्हें पकड़े पूछताछ करने पर मवेशियों को बुचड़खाना(सलाटर हाउस) ले जाने की जानकारी स्पष्ट हुई।

पकड़े गये आरोपी 1- उत्तम यादव पिता जोगेश्वर यादव उम्र 35 वर्ष निवासी पीठाआमा थाना बागबाहर जिला जशपुर हाल मुकाम गाला थाना पत्थलगांव जिला जशपुर 2- मोहन यादव पिता गणेश यादव उम्र 22 वर्ष निवासी पीठाआमा थाना बागबाहर जिला जशपुर हाल मुकाम शिवपुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर के कब्जे से स्कूल 49 नग कृषिधन मवेशी को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया, जिन्हें उचित देखभाल के लिए गांव के सरपंच एवं पंचगणों को गोठान में रखने सुपुर्द किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना लैलूंगा में धारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत कार्रवाई की गई है।

वैक्सीन को लेकर सोशल साइट पर फैलाई जा रही भ्रांतियों से दूर रहें

» कोरोना वायरस की जंग में सबसे बड़ा कवच है वैक्सीन

रायगढ़। जिले में कोरोना संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके बचाव के लिये सबको वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए। यह कोरोना से लड़ने में कारगर है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। वैक्सीन को लेकर सोशल साइट्स पर कुछ पर्चे प्रचारित किये जा रहे है, जिसमें बिन्दुवार लिखा गया है कि टीके लगाने से नुकसान हो सकता है, जो कि बिल्कुल अप्रामाणिक व गलत है। जनसामान्य से अपील की जाती है कि वे इस तरह की भ्रामक जानकारियों व भ्रांतियों से दूर रहें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.केशरी ने बताया कि वैक्सीनेशन होने के बाद हमारे शरीर की (इम्युनिटी पावर)रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो हमारे लिये फायदेमंद होती है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी यदि कोरोना से संक्रमित हुये तो स्थिति गंभीर होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। वैक्सीन लगवाने वालों पर वायरस का प्रभाव कम होता है तथा संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में संक्रमण फैलने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। कोरोना वायरस की जंग में जिंदगी के लिये सबसे बड़ा कवच है वैक्सीन। अतः वैक्सीनेशन करायें और संक्रमण को बढ़ने से रोके।

❑ वैक्सीन किसे नहीं लगवाना है इसकी भ्रामक जानकारी से बचें - सोशल साइट्स के जरिये शेयर किये जा रहे पर्चे में लिखा है कि अविवाहित युवतियों को वैक्सीन लगवाने पर शादी के बाद उन्हें संतानहीनता की समस्या हो सकती है?

सीएमएचओ डॉ.केशरी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में समय-समय पर गाईड लाईन जारी की जा रही है। जिसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अविवाहित युवतियों को वैक्सीन से बचना चाहिये या इससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हल्के बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे छोटे-मोटे साइड इफेक्ट तो हो सकते है, लेकिन इससे प्रजनन क्षमता प्रभावित करने की बात सही नहीं है।

इसी प्रकार लिखा जा रहा है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन से दूर रखें क्योंकि इससे भविष्य में उन्हें बीमारियां हो सकती है। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही लगाई जा रही है। तो बच्चों को इससे दूर रखने वाली कोई बात नहीं है। इस प्रकार की बातें अपने अपने आप गलत साबित हो जाती है।

इसी प्रकार जिन लोगों को क्रोनिक निमोनिया, अस्थमा या ब्रॉन्काइटिस जैसी श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां रह चुकी है हो, उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिये। इससे उनकी मौत भी हो सकती है? इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों के मरीजों को वैक्सीन लेने से न रोका है, न हीं ऐसा कोई शोध सामने आया है, जिन कंपनियों की वैक्सीन वर्तमान में लगाई जा रही है, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है। जबकि बताया गया है कि फेफड़े की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिये कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480